

# कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष- 05944 242400 फैसल- 05944 243316

पत्रांक- 1415/कर. कक्ष/2022-23 P.B

दिनांक- 06 - 8 - 22

## "ई-निविदा सूचना"

एतेद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा होड़िग/यूनिपोल विज्ञापन शुल्क बसूली हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र सं	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	होड़िग/यूनिपोल विज्ञापन शुल्क बसूली	दि 06.8.22 के 11:00 AM से दि 22.8.22 के 11:30 AM तक	दि 22.8.22 के 12:00 PM	कक्ष स 0 12

उपरोक्त ई-निविदा <http://uktenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदाओं की नियम व शर्तें नगर निगम की वेबसाइट [www.nagarnigamrudrapur.com](http://www.nagarnigamrudrapur.com) पर भी देखी जा सकती है।

*V.M.*  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर

*Lamad*  
महापौर  
नगर निगम, रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर

# कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit [www.nagarnigamrudrapur.com](http://www.nagarnigamrudrapur.com)

दूरभाष- 05944 242400 फैसल- 05944 243316

पत्रांक- 1415/कर. कक्ष/अपनिस 0/2021-22 P.B

दिनांक- 5 - 8 - 22

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु प्रेषित-

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य कार्याधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- सम्पादक **अमर-त्रिलोक** एवं **दिनेश-त्रिलोक** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक **6.8.22** के अंक में चूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियो सहित यिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।
- श्री तथन कुमार राय, कनिष्ठ सहायक सह डाइआ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना निविदा शर्त उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> व नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट [www.nagarnigamrudrapur.com](http://www.nagarnigamrudrapur.com) में अपलोड करना एवं निरिचित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टैप्डर खोलना सुनिश्चित करे।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चर्चा हेतु।

*V.M.*  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर

**उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली)**  
**नियमावली 2015 के अनुपालन में यूनिपोल/होर्डिंग लगाने हेतु ई-निविदा (2022-24) की शर्तें**  
**एवं प्रावधानः—**

1. विज्ञापन पद्धति होर्डिंग / यूनिपोल लगाने हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम बोली की धनराशि 1,22,10,000.00/- (रु० एक करोड़ बाईस लाख दस हजार मात्र) 02 वर्ष तक के लिये निर्धारित है।
3. उच्चतम निविदादाता की दरे (ठेका) स्वीकृत होने के 03 (तीन) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के ब्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे। ठेकेदार को कार्यादेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानीक्षण निकाल उत्तराखण्ड देहसादून के समय-समय पर हुए आदेशों के उन्तरांत ठेके की राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
4. निविदा में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और न्यायालय के आदेश पर कोई भी यूनिपोल/होर्डिंग हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में यूनिपोल/होर्डिंग को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूरी देय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, एवं किन्हीं 05 वर्षों में से (वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) किन्हीं 03 वर्षों का प्रत्येक वर्ष का ठन्डे ओवर रु० 2,00,00,000.00 (रु० दो करोड़ मात्र) का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा संक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) या सी०३० द्वारा निर्गत नवीनतम हैसियत प्रमाण/Net Worth प्रमाण पत्र (दोनों ही मान्य) मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र 06 माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुद-दुर्द नहीं किया गया है, ई-निविदा के साथ-साथ निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित आयाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत (12,21,000.00) धनराशि जो कि नगर अनुकूल नगर निगम, रुद्रपुर के नाम बद्यक है, प्रतिभूति के रूप में एन०एस०टी०/एफ०डी०आर०० के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे ई-निविदा के साथ मूललघू में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
7. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही द्वितीय निविदा खोली जायेगी।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जी०एस०टी० सहित 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई है, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही व्याहर/प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो जब्त कर दी जायेगी तथा द्वितीय खोलीदाता (H2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी।
9. अपरिहार्य कारणों से यदि समय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोई/समिति का निर्णय अंतिम होगा।

10. यूनिपोल / होर्डिंग हाईटेन्शन लाइन से उचित दूरी पर लगाये जायेंगे, इससे सम्बन्धित सुरक्षा का दायित्व निविदादाता / फर्म का होगा। इस सन्दर्भ में विद्युत विभाग के नियमों का पालन करना होगा।
11. यूनिपोल / होर्डिंग इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि कोई दुर्घटना होती है, तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता / फर्म / ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
12. यूनिपोल का अधिकतम साईज 6.0मीx3.0मीx0.5 मी अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 2.5 मी से कम नहीं होगा या स्थल के अनुसार कम करना होगा। यूनिपोल विनिहत किये गये स्थलों पर ही लगाये जायेंगे। स्टीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।
13. किसी भी निविदा दाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। 'निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग / स्वायत्त निकाय / संस्था में देनदारी नहीं है'।
14. यूनिपोल / होर्डिंग सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यव पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
15. सरकार द्वारा प्रतिवनिष्ठत उत्पादों जैसे शत्रब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में धृणा फैलाने, साम्प्रदायिक सौज्ञार्द को विनाढ़ाने वाले ना हों एवं शान्ति एवं कमनुन व्यवस्था को बनाये रखने वाले विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे।
16. निविदादाता द्वारा निगम हेतु 04 यूनिपोल एवं 04 होर्डिंग आरक्षित रखे जायेंगे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर निगम को विज्ञापन लगाये जाने हेतु निशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर का निर्णय मान्य होगा, तथा टेक के प्राविधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रमाणित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी उद्घमसिंह नगर) के बहां अपील की जा सकती है।
18. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्टीकार / अस्टीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये लेत्राधिकार, जिला उद्घम सिंह नगर के जिला न्यायालय / न्यायालयों को होगा।
19. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात ही जनान्त की धनराशि वापस की जायेगी।
20. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी निगम / जिला प्रशासन / मा० न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
21. प्रत्येक यूनिपोल / होर्डिंग में 01 यूनिक कोड संख्या अकित करना अनिवार्य होगा जो कि 01 से अन्तिम संख्या तक लिखा जायेगा। अन्य स्थानों पर एवं अन्य माध्यमों से विज्ञापन प्रवार-प्रसार हेतु नगर आयुक्त, द्वारा पृथक से अनुमति दी जायेगी, तथा शुल्क नगर निगम द्वारा लिया जायेगा।
22. यूनिपोल / होर्डिंग लगाने में लगे व्यवितयों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार पी०पी० एफ०, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।
23. निविदादाता को अपने आवंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई पॉलपेटिंग, विजली के खम्भों पर लगे अवैध पॉल व्योस्क व छतों पर लगे अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही करनी होगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होगा।
24. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिलीकेट या कार्टल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

25. सभी यूनिपोल/होर्डिंग का फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम के अधिकारी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा उल्लिखित व्यावे के अनुसार ही रखना होगा।
26. प्रत्येक विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित धातु (स्टील) के होंगे, और 02 पोल से अधिक नहीं होंगे।
27. अनुज्ञा के बाल उस अवधि तक ही प्रमाणी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है। भूतल से विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई 6 मी० से अधिक नहीं होगी।
28. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन किया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन पट्ट नहीं लगाये जायेंगे तथा समय-समय पर ठेकेदार द्वारा यूनिपोल का अनुरक्षण (Maintenance) किया जायेगा।
29. सभी विज्ञापन पट्ट अवलम्बों, ब्लैनी, रस्सा और स्थिरक के साथ नली-धाति गरमत किये जाये, जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, तथा उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।
30. अनुबन्धकर्ता का यह कर्तव्य व उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा धेरे गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।
31. विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।
32. राज्य सरकार या नगर निगम, द्वारा पी०पी०पी० मोड में प्रस्तावित ऐसी योजनाएँ जिनमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये गये हो, पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
33. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विकापण निवारण नियमावली 2009 में विहीन प्राविधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।
34. यदि प्रस्तावित विनियम स्थलों पर अवरहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबन्धकर्ता यो नया स्थल विनियम कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अतिम व मान्य होगा।
35. निविदा खोलते समय समस्त पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
36. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में ई-निविदा की शर्त अनुबन्ध का भाग होगी, तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रधाम बार में ₹० 5,000/- दूसरी बार में ₹० 10,000/- जुर्माना व तीसरी बार में ठेके निरस्त करते हुए जमानत घनराशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर पुन निविदा आमंत्रित की जायेगी।
37. स्क्रैप की नीलामी- नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खामों, गार्डर, यूनिपोल, जाल, एगिल, गिल, धेरा, ढाँचा आदि को धाहे वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खड़ंजा, डिवाइडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब कर लेगा तथा स्क्रैप व कबाड़ को अधिनियम की द्वारा 521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि-

- (क) निविदा दरे निर्धारित अनुज्ञा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है।
- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणारपद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव दालने वाला या राजनीतिक अभियान को उकसाके याला या जनता-अथवा किसी प्रिशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों होता है।

अनधिकार या क्षतिकारक प्रभाव ढालने हेतु संगणित प्रबृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रिति से या किसी ऐसे मात्र्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पढ़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नाम रेखांचित्र या मदोन्मत्ता को कोई प्रतीक अन्तर्दिश हो;

- (ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो;

**नोट-** प्रथम चरण में निम्नलिखित चिन्हित स्थलों हेतु होटिंग / यूनिपोल की निविदा आमत्रित की जा रही है। तथा द्वितीय चरण में नये चिन्हित प्रत्येक स्थलों हेतु अलग-अलग आवेदन प्राप्त कर निविदा निकाली जायेगी।

### यूनिपोल हेतु चयनित स्थल

क्र. सं.	2020-22 हेतु चयनित स्थल	संख्या	साइज (sq.ft.)
<b>A</b>	काशीपुर बाईपास रोड पर (गाड़ा चौक से ३०३० चौक तक)		
1.	गाड़ा चौक, घर्मकॉट के पास	01	20x10
2.	रुदा होटल इण्डिन मीस एजेसी के सामने डिवाइडर पर (ए००३०आ००० के सामने)।	01	20x10
3.	रुदा होटल के सामने डिवाइडर पर।	01	20x10
4.	वैष्णो द्वार के निकट डिवाइडर पर (नीलकमल फॉनियर के सामने)।	01	20x10
5.	सुविधा होटल के सामने डिवाइडर पर (कार क्रेज के सामने)।	01	20x10
6.	मुरुगानंक इण्टर कॉलेज के पास बालाजी यट के सामने डिवाइडर पर (जार्य कन्या इण्टर कॉलेज के सामने)।	01	20x10
7.	खुशना एजेसी के सामने डिवाइडर पर।	01	20x10
8.	होटल निंदा टाउन के सामने डिवाइडर पर	01	20x10
9.	होटल अम्बर के सामने डिवाइडर पर।	01	20x10
10.	भारत ट्रैडिंग कारपोरेशन के सामने डिवाइडर पर।	01	20x10
11.	मटके बाली गली के सामने डिवाइडर पर (सोनू टेलीकॉम के सामने)।	01	20x10
12.	दुर्गा मन्दिर गली के सामने डिवाइडर पर (ए००३० इण्टर क्राइजेज के सामने)।	01	20x10

13.	अग्रसेन चौक ब्लैक ब्रेसी शोलम के सामने डिवाइडर पर (अन्नोडा अर्द्धन वॉपरेटिव बैंक के सामने)।	01	20x10
14.	पजाब एण्ड लिंथ बैंक के सामने (डी०डी० चौक के निकट शी०फी०य० चौकी के सामने)।	01	20x10
<b>B</b>	किंचन बाईपास रोड पर (डी०डी० चौक से तीनपाँच मोड़)		
1.	झील के पास (कल्याणी नदी पुल के छाहिने छोर पर)।	01	20x10
2.	शिवनगर ट्रांजिट कैम्प मोड़ के पास।	01	20x10
3.	पुरानी रहसील के सामने (सत दया सिंह द्वार के निकट)	01	20x10
<b>C</b>	काशीपुर-किंचन मुख्य मार्ग (NH-74)		
1.	चौमा अस्पताल से पहले	01	20x10
2.	इम्फीरियल ग्रीन्स कालोनी के गेट के दोषे एवं बाये छोर पर।	02	20x10
3.	मण्डी समिति गेट से पहले (भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने)।	01	20x10
4.	ओमेहोशी इन्डिन्डिपेंस के गेट के बगल में।	01	20x10
5.	केलेल००० साइस मिल के सामने।	01	20x10
6.	विपिन चाहस मिल के सामने (दूधिया बाजा मंदिर के सामने पहाड़गाज प्रवेश मार्ग पर)।	01	20x10
7.	गल्ला मण्डी प्रवेश द्वार डिवाइडर पर। (गोरख ट्रेइंग कम्पनी के सामने)	01	20x10
8.	मेडिसिटी के सामने नाले से संलग्न भूमि।	01	20x10
9.	ट्रॉयेंग गाउण्ड में ट्रोमल मशीन के बसावर में।	01	20x10
10.	इन्दा चौक के निकट नाले से संलग्न भूत्यंगला रोड पर।	01	20x10
<b>D</b>	नैनीताल रोड पर (NH-87)		
1.	दिल्ली रामपुर रोड पर ट्रेनिंग शेन्टर मोड़ पर।	01	20x10
2.	दिल्ली रामपुर रोड पर डाइट संस्थान गेट के पास।	01	20x10
3.	मेट्रोपोलिस से बिंग बजार तक।	06	20x10
4.	मेट्रोपोलिस-ओमेक्स रोड डिवाइडर पर।	05	20x10
5.	सिंडकुल गेट नं० ०२ के सामने।	02	20x10
6.	मटकोटा फार्म से संलग्न भूमि पर।	05	20x10
7.	प्रीत विहार मार्ग के सामने हाईवे के दूसरी तरफ।	01	20x10
8.	पुलिस लाइन से संलग्न पेट्रोल पम्प से कलेक्टर होटे हुए मेट्रोपोलिस मोल के सामने तक।	07	20x10
9.	सिंडकुल गेट नं० ०१ (पाले चौक के सामने रोड के पास)	02	20x10
10.	हल्दानी मोड़ से टाटा मॉटर्स के गेट तक (हल्दी रोड)	03	20x10
<b>E</b>	छत्तारपुर मोड़ से अशोक लिलैंप्लू तक डिवाइडर पर (दिनेशपुर रोड)	03	

<b>F</b>	सिविल लाइन्स, डी1डी।		
1.	नैनीताल रोड से सिविल लाइन्स प्रवेश द्वार डिवाइडर पर।	01	20x10
2.	बी मार्ट शोकम के सामने डिवाइडर पर	01	20x10
3.	सन सिटी ब्लाजा के सामने डिवाइडर पर।	01	20x10
4.	बसल जैलर्स के सामने अग्रसेन चौक से आगे डिवाइडर पर।	01	20x10
<b>G</b>	अग्रसेन चौक से गांधी पार्क के सामने से होकर बाटा चौक रोड पर		
1.	बाटा चौक के निकट अम्बेडकर पार्क के पास।	01	20x10
2.	सुदा फोटो स्टेट/श्री मार्गीति कॉर्पियर के सामने ट्रांसफार्मर के निकट।	01	20x10
3.	अग्रसेन चौक गांधी पार्क के दक्षिणी छोर पर (जनता इलेक्ट्रीकल / एच०डी०एफ०सी० ए०टी०एम० के सामने डिवाइडर पर)।	01	20x10
	<b>कुल योग</b>	<b>71</b>	

### होर्डिंग हेतु चयनित स्थल

क्र.सं.	होर्डिंग स्थल	संख्या	साइज (sq.ft.)
<b>A</b>	किंचा-काशीपुर बाईपास रोड पर		
1.	फायर स्टेशन से गैस गोदाम तक।	05	20x10
2.	पुरानी तहसील के बाहर।	02	20x10
3.	सिवनगर मोड़।	03	20x10
4.	पुरानी तहसील से तीन फानी मोड़ तक।	08	20x10
<b>B</b>	काशीपुर-किंचा मुख्य मार्ग (NH-74)		
1.	इन्दा चौक एस.बी.आई.	06	20x10
2.	काशीपुर मेन रोड बिजली घर से नवोदय विद्यालय तक	02	20x10
<b>C</b>	नैनीताल रोड पर (NH-87)		
1.	कंधन तारा होटल रोड मोड़ शिशु मन्दिर के पास	01	20x10
2.	अंगद देव कॉम्प्लैक्स सिविल लाइन	04	20x10
3.	पी०ए०सी० घेट न० ०१ से नगर निगम, रुद्रपुर स्वामगत द्वार तक	10	20x10
4.	अटरिया रोड पर नाले से लगी भूमि पर	05	20x10
5.	नैनीताल रोड पर मेट्रोपोलिस मोड़ के पास	04	20x10
6.	नैनीताल रोड पर मेट्रोपोलिस से बिंग बाजार तक	05	20x10
7.	नैनीताल रोड पर बिंग बाजार के सामने पूर्व दिशा में	10	20x10

8.	मेट्रोपोलिस कालोनी गेट नं 03 के सामने	04	20x10
9.	ओमेक्ष कालोनी गेट के सामने	04	20x10
10.	सिंडकुल गेट नं 01 के पास	02	20x10
11.	सिंडकुल याँकी सहायता केन्द्र से महादेव मन्दिर	02	20x10
12.	सिंडकुल गेट नं 02 के पास	02	20x10
D	छत्तरपुर मोहन टी-पाइनट के पास	02	20x10
	कुल योग	81	

विज्ञापन शुल्क वसूली ई-निविदा की निर्धारित Key Dates निम्नानुसार है:-

S. N o	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	6. 8. 22	11.00 AM
2	Documents download start date	6. 8. 22	11.00 AM
3	Bid submission start date	6. 8. 22	11.00 AM
4	Pre Bid Conference Date	—	12.30 PM
5	Bid submission End date	22. 8. 22	11.30 AM
6	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	22. 8. 22	11.30 AM
7	Bid Opening Date	22. 8. 22	12.00 PM

(निशा दूबे)  
कर एवं राजस्व मौहरिर  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर

(लता आर्या)  
कर अधीक्षक  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर

(सहायक नगर आयुक्त)  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर

(जुबक माहन सक्सेना)  
वरिष्ठ वित्त अधिकारी  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर

(विशाल मिश्र)  
IAS  
नगर आयुक्त  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर

(रामपाल सिंह)  
महापौर  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर